eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Issue 01, January 2025

महिलाओ के अधिकार के बारे मे डॉ. बाबासाहब अंबेडकर के विचार

गिरधर एल0 राठोड[1] एवं डॉ. भरत एम0 खेर [2]
[1]सहायक प्रोफेसर (एड–होक), समाजशास्त्र भवन, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत
[2]सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र भवन, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट

Received: 20 Jan 2025, Accepted: 25 Jan 2025, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2025

Abstract

वर्तमान में डॉ. बाबासाहेल अंबेडकर की बहुमुखी राष्ट्रीय प्रतिमा को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी जाना जाता है। भारत देश के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उतना ही महत्वपूर्ण है लेकिन अनदेखा योगदान विभिन्न मानवाधिकारों से संबंधित है। जिसमें दबे हुए, कचड़े हुए, शोषितों, वंचित,पीड़ित के साथ–साथ महिलाएं भी शामिल थी। आज जब जातिवाद आरक्षण के मुद्दे पर आंबेडकर को अलग तरीके से देखा जाता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण सीधे तौर पर वे डॉ. बाबासाहब के योगदान को जानती नहीं है। उनके लिए डॉ. बाबासाहब ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसका कारण हिंदू कोड का पारित न होना था, जो भारत की महिलाओं को विशेषाधिकार प्रदान करता था। जिसके माध्यम से महिलाएं अधिकार प्राप्त करने की पात्र बनीं, डॉ. अंबेडकर का मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब परिवार समाज में फिर से महिलाए समानता का दर्जा हासिल कर लेगी। जिसमें शिक्षा एवं आर्थिक प्रगति से उन्हें इस काम में मदद मिलेगी। डॉ. बाबासाहब ने संविधान में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए समाज में महिलाओं को जागरूक कर उनको सम्मानजनक दर्जा मिलता है।

बीज शब्द– माहिलाओ के अधिकार, हिन्दू कोड बील, संविधानिक अधिकार, माहिलाओ का विकास

Introduction

मानव अधिकारों की विभावना को कई अलग–अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे आते हैं। ये अधिकार मनुष्य को भय और अभाव से मुक्त करते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिये गये हैं। हालाँकि, भारतीय संविधान ने समान मानवाधिकारों पर विचार किए बिना इसका दायरा बढ़ा दिया है। मानवाधिकारों की दृष्टि से भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों से आगे है और इसका श्रेय डॉ. बाबासाहब अंबेडकर को जाता हैं।

महिलाओं के सामाजिक अधिकारों में बाबा साहब का योगदान–

भारतीय समाज में देवदासी प्रथा, बाल विवाह, सतीप्रथा, बहुविवाह, विधवा पुनः विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता था। इन सबके बारे में डॉ. अम्बेडकर ने अपने एक लेख "हिन्दू नारी का उत्थान और पतन" में बताया है।

जब समाज की स्थापित व्यवस्थाओं पर रीति–रिवाज और परंपराएं हावी हो जाती हैं तो मूल व्यवस्था भूल जाती है। जब भारत में रीति–रिवाज और परंपराएं मजबूत हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय महिलाएं असहाय एवं परतंत्र हो गईं, पुरुष वर्ग ने महिलाओं के पारिवारिक अधिकारों को छीन लिया और महिलाओं को गुलाम बना लिया, कई समाज सुधारकों और सामाजिक क्रांतिकारियों ने इस स्थिति से छुटकारा पाने

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Issue 01, January 2025

के लिए हर संभव प्रयास किया। जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉ. अम्बेडकर को सामाजिक क्रांतिकारियों की अग्रणी पंक्ति में रखा जा सकता है।

एक बार दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में महिलाओं की बुरी स्थिति की खबर सुनकर वे तुरंत मालाबार की ओर चल पड़े, जब बाबासाहब इन महिलाओं से मिले तो उन्होंने उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। यहां की महिलाओं को दुकान में कुछ भी छूने की मना थी, वे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, साथ ही सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चल सकते थे, महिलाओं को अर्ध नग्न रहना पड़ता था और इसलिए महिलाओं को मजबूर किया जाता था। कुछ धार्मिक ग्रंथों ने प्रतिबंध लगाये। जब अछूत लोगोने अम्बेडकर को अपनी कहानी सुनाई तो अम्बेडकर का हृदय दुखी हो गया। डॉ. अम्बेडकर ने एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने महिलाओं को अपने बच्चों को स्कूल भेजने, खाने के बाद बाकि छुटा हुआ खाद्य पदार्थ न खाने, अर्धनग्न न रहने, शर्मनाक जीवन न जीने आदि का आह्वान किया। बाबासाहेब द्वारा दिए गए इस उपदेश का बहुत प्रभाव पड़ा, अगले दिन सभी महिलाओं ने साफ कपड़े पहने और खुद को पूरी तरह तैयार हो कर डॉ. आंबेडकर को मिलने आई और फूलों समर्पित किये. अम्बेडकर लगातार पांच महीने तक मालाबार क्षेत्र में प्रचार करते रहे, जिससे मालाबार की महिलाओं में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई, माताएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगीं। इस प्रकार उन्होंने महिलाओं को स्वाभिमान से जीने का पाठ पढ़ाया।

डॉ. अम्बेडकर ने न केवल व्याख्यान के माध्यम से बल्कि कर्म के माध्यम से भी महिलाओं को अपने आंदोलन में शामिल किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना आंदोलन १९२० में शुरू किया था। उन्होंने महिलाओं को सार्वजनिक सभाओं में गीत गाने और अपने विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का अवसर दिया, १३ नवंबर १९२७ को जब कालाराम मंदिर क्षेत्र में एक विशाल जुलूस निकला, तो हजारों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। हालाँकि पुलिस और रुढ़िवादियों के हमलों में कई महिलाएँ घायल हो गईं, फिर भी कई महिलाएँ मंदिर के द्वार से दूर नहीं गईं, एक नई जागरूकता आई, जो अस्मिता की जन्मदाता साबित हुई, हजारों महिलाओं ने महाड सत्याग्रह एवं मनुस्मृति दहन कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई।

मुंबई में डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में कामठी आन्दोलन शुरू हुआ, निहित स्वार्थों द्वारा गरीब महिलाओं को उनकी गरीबी और अज्ञानता का फायदा उठाकर वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा था, इसलिए उनकी मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू हुआ। डॉ. आंबेडकर उन वैश्याओं के बिचमे जाकर उनको ये बुरा काम छोड़कर अपने पैरों पे खड़े होने के लिए और अपने सन्मान के लिए पसीना बहा के रोटी कमाओ ऐसा आग्रह किया और वैश्यालयों में स्थित ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए एक संगठन का गठन किया गया और इस संगठन ने भटकी हुई महिलाओं को अच्छे कार्यों में मदद करने का प्रयास किया। भार्द्वर्गीय महिला राजनीतिक आंदोलन की तुलना में, डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में कामठी आंदोलन महिलाओं की मुक्ति के लिए एक ठोस आंदोलन था।

महिलाओं के अधिकारों में डॉ. बाबासाहेब का योगदान–

बाबासाहेब अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा पर किसी जाति या विशेष का एकाधिकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति को शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा विश्वास उनके मन में विद्यार्थी जीवन के दौरान ही बैठ गया था। जब वे विदेश में अध्ययन करने गये तो उन्होंने महिलाओं सहित समाज की समस्याओं को समझने में गहरी रुचि ली। इसलिए, १९१६ में गोल्डनवेगर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने सती प्रथा, विधवापन और जाति

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Issue 01, January 2025

व्यवस्था आदि पर कास्ट इन इंडिया घेर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक एक विचारोत्तेजक पेपर प्रस्तुत किया। जिसकी काफी तारीफ हुई थी।

उन्होंने नागपुर के महिला सम्मेलन में महिलाओं से सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने, कड़ी मेहनत करने और शिक्षा प्राप्त करने का आह्वान किया। शिक्षा शेर के दूध के समान है, आपकी नई पीढ़ी शेर की तरह होनी चाहिए, शादी एक जिम्मेदार कर्तव्य है, इसे बोझ न समझें और अपने बच्चों की शादी में जल्दबाजी न करें, उन्हें शिक्षित बनाएं और अपनी बेटियों को शिक्षित करने से न चूकें। बच्चों की शादी तभी करें जब उन्हें अपना पसीना बहाकर जिम्मेदारी निभाने सक्षमता मिले, शादी करने वाली लड़कियां पति के कार्यों में और परिवार की उन्नति में सहयोगी बनती हैं, उन्हें पति की नौकरानी नहीं बल्कि दोस्त और साथी बनना। मुझे विश्वास है कि आप शिक्षा के महत्व को समझेंगे और परिवार की सफलता और समाज के उत्थान में भाग लेंगे।

डॉ. बाबा साहब अंबेडकर हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि समाज को शिक्षा के सभी अवसर मिलने चाहिए। १८४८ में अपने गुरु ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं उन्होंने पुणे भिडवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। बाबासाहब भी इससे प्रेरित हुए और उन्होंने औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। संस्था की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए प्रारंभिक चरण में विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में कई कठिनाइयाँ आईं। उन्होंने लड़कियों को कॉलेज आने के लिए कन्या महाविद्यालय की शुरुआत की। प्रारंभ में केवल चार लड़कियों को प्रवेश मिला, सभी लड़कियाँ उच्च वर्ग से थीं, यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो चार अश्वेतों के लिए एक कॉलेज चलाने का जोखिम उठाने की इच्छा ही न रखते। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद महिला कॉलेज जारी रहा, क्योंकि उनका लक्ष्य एक महान आदर्श को पूरा करना था, जो महिलाओं को सदियों से गुलाम बनाकर रखा गया था उन्हें मुक्त कराना था।

डॉ. बाबासाहेब अबेडकर ने कारखानों में महिला श्रमिकों को स्वीकृत स्थानों पर बेहतर सुविधाएं, मातृत्व धारण करने पर छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं और पुरुषों की तुलना में उचित वेतन प्रदान करने के लिए कानून बनाए और श्रम मंत्री के रूप में उन्हें लागू भी किया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का स्पष्ट मानना था कि कानून का शासन स्थापित किया जाना चाहिए और हर कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कानूनों का क्रियान्वयन एवं अनुपालन ही न्याय का आधार होना चाहिए।

महिलाओं के राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों में बाबा साहेब का योगदान–

एक चौंकाने वाला तथ्य है कि भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार दिया गया है, यहां तक कि अमरीकी जैसे प्रगतिशील देश में भी महिलाओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, अमेरिकी महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार पाने के लिए कई आंदोलन करने पड़े। भारतीय महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वोट देने का अधिकार दिलाने में बाबा साहब का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।

जब संविधान बनाने का अवसर डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर को मिला तो उन्होंने महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया। यह भावना कायम रही कि स्त्री पुरुष का ही एक अंग है। इसमें प्रावधान किया गया कि हिंदू संयुक्त परिवार में महिलाओं को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाये गये। हिंदू महिलाओं को अपने पतियों से तलाक और भरण–पोषण प्राप्त करने की

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Issue 01, January 2025

अनुमति देने के लिए कानून बनाए गए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को भारतीय संविधान में वोट देने का अधिकार दिया गया।

संवैधानिक प्रावधान के अनुसार महिलाएं विधानसभा, राज्यसभा, जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ सकती हैं। और निर्वाचित होने के बाद वे प्रशासन में शामिल हो जाते हैं और सुशासन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अनुच्छेद १४, समान कानून और सभी को कानून का समान संरक्षण, अनुच्छेद १५, धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद १६, सार्वजनिक रोजगार में समानता, अनुच्छेद २१– जीवन के अधिकार का संरक्षण और शारीरिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद २३ मानव तस्करी और जबरदस्ती की मजदूरी का निषेध, ३९(अ) अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद ५१ (च) धार्मिक, भाषा किय, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक भिन्नताओ से अलग रहकर, भारत के सभी लोगों के बीच आपसी मनमेल और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमान जनक प्रथाओं को त्यागना, अनुच्छेद २४३(ड) चुनाव में महिलाओं के लिएसीटों के आरक्षण का प्रावधान। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन अधिकारों को संवैधानिक रूप दिया जिनके लिए महिलाएं प्रयास कर रही थीं। जिससे कोई उनके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है और कानूनी प्रावधान के कारण इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त किया जा सकता है।

हमारा संविधान हमें व्यक्तियों की उन्नति के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। जैसे दहेज उन्मूलन अधिनियम, स्त्री भ्रूण हत्या प्रतिबन्ध अधिनियम, गुजरात पंचायत अधिनियम जो महिलाओं के लिए ३३% आरक्षण प्रदान करता है। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व सुरक्षा आदि के समान अधिकार के प्रावधान किये गये हैं।

मुंबई में महिलाओं की एक सभा में अपने भाषण में डॉ. बाबासाहब ने आह्वान किया कि महिलाएं वास्तव में राष्ट्र की निर्माता हैं। देश का एक–एक नागरिक उनकी गोद में पलता है, जब तक नारी नहीं जागेगी तब तक देश की दुश्वारियां खत्म नहीं होंगी। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि 'किसी भी समाज ने कितनी प्रगति की है इसका पैमाना उस समाज में महिलाओं को दिया जाने वाला सम्मान और सांसारिक गतिविधियों में कितनी भागीदारी है'। जिस समाज में नारी के महत्व को स्वीकार किया जाता है और उसे व्यवहार में लागू किया जाता है, वह समाज प्रगति करता है। महिलाओं के विकास के बिना समाज या देश की प्रगति संभव नहीं है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर उन बहुत कम भारतीय विचारकों में से एक थे जिन्होंने सामाजिक पुनरोद्धार में महिलाओं की प्रगति की कल्पना की थी। लंदन में राउंड टेबल कोंफेरेंस में महिलाओं के मताधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने एक मजबूत प्रस्तुति दी। इस दृष्टि से महिलाओं की प्रगति एवं कल्याण में उनका योगदान अमूल्य है। वह न केवल पुरुषों के बीच समानता के पक्षधर थे, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समान स्थिति, समान अवसर और सम्मान के समर्थक भी थे।

भारतीय महिलाओं को डॉ.बाबासाहेब अम्बेकर का अमूल्य उपहार हिंदू कोड बिल–

आज से ७० साल के पहले २७ सितंबर १९५१ को बाबासाहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में अपने मंत्रीमंडल के पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफा को देने का उद्देश्य देश की महिलाओं को विशेषाधिकारों से लैस करने के लिए हिंदू कोड बील को पारित करना नहीं था। हिंदू कोड बिल में मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर सुधार की सिफारिश की गई जिसके माध्यम से महिलाओं को सार्वभौमिक संवैधानिक अधिकारों मिलने की पात्रता थी।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Issue 01, January 2025

पहला संशोधन विवाह और बच्चा गोद लेने से संबंधित था। पहले के समयमे विवाह और बच्चा गोद लेना केवल जाति के भीतर ही संभव था, क्योंकि यह हिंदू समाज और जाति की प्रथा थी। लेकिन हिंदू कोड बिल के अनुसार महिलाओं को अपनी जाति के दायरे से बाहर शादी करने और बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल गया, जिससे हिंदू समाज में जातिवाद की जड़ें कमजोर हो सकती थी।

दूसरा सुधार पत्नीत्व सबंधित था, पहले के समय में हिन्दू समाज में पुरुष एक से अधिक पत्नियाँ रख सकते थे। लेकिन बहुविवाह की इस प्रथा को हिंदू कोड बिल के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया।

तीसरा संशोधन तलाक से संबंधित था। हिन्दू शास्त्र के अनुसार विवाह एक अटूट रिश्ता माना जाता है, इसमें भी माहिलाओ को पति के साथ रहना पड़ता है, पति चाहे तो पत्नी को हटा सकता है, लेकिन हिंदू कोड बिल के जरिए वह पति से अलग भी हो सकती है या तलाक ले सकती है। उसे इसकी आवश्यकता अनुसार अधिकार दिया गया।

चौथा संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, पहले पिता की संपत्ति पर केवल पुत्र का ही अधिकार होता था। विवाह के समय मिले आभूषण या उपहार उनकी संपत्ति माने जाते थे, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने की सिफारिश की गई। इस प्रकार इस विधेयक ने हिंदू धर्म की पुरानी प्राचीन नीतियों और प्रथाओं को पूरी तरह से पलट दिया और महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान किया जा रहा था। परन्तु रुढ़िवादियों के कट्टर विरोध के कारण २७ सितम्बर १९५१ को डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से धर्म की रूढ़िवादी परंपरा को नष्ट करके क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते थे। वे केवल महिलाओं को शिक्षित करे ऐसा कह कर अपनी जिम्मेदारीसे मुकरना नहीं चाहते थे।

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि, "गणतंत्र तभी आएगा जब महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार और समाज में समान दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक उन्नति से उन्हें इस काम में मदद मिलेगी"। बाबासाहेब के इस्तीफे के बाद १९५५–५६ में हिंदू कोड बिल को चार भागों में बांटकर संसद में पारित कराया गया, जिसका श्रेय बाबासाहेब को दिया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम, तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा भारतीय महिलाओं का सामाजिक सुधार एवं उत्थान के लिए भी अथक प्रयास किए, उन्होंने भारतीय महिलाओं को संविधान के प्रावधानों के अनुसार मताधिकार का अधिकार दिया, इतना ही नहीं हिंदू कोड बिल जैसे कई कानूनों के माध्यम से महिलाओं कल्याण के लिए प्रावधान किए। उन्होंने महिलाओं के लिए 'मातृत्व लाभ विधेयक' का समर्थन किया। संविधान में बच्चे के जन्म से पहले और बाद में आराम की अवधि भी प्रदान की गई, और जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए परिवार कल्याण और परिवार नियोजन की वकालत की गई। उन्होंने शिक्षा को ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग बताकर बालिका शिक्षा पर जोर दिया ताकि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी भी समाज की महिलाएं अनजाने में वेश्यावृत्ति की ओर न धकेली जाएं, बल्कि उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया है कि वे किसी अन्य अच्छे व्यवसाय में जीविकोपार्जन का प्रयास करें। वेश्यावृत्ति से भी ज्यादा हिन्दू कोड बिल ने कन्या विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा, विधवा विवाह, गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार, अंतरजातीय विवाह, बेटी व पत्नी के रूप में परिवार में संपत्ति का अधिकार जैसे अनेको अधिकार प्रदान करके महिलाओं के उत्थान के लिए अविस्मरणीय कार्य किया है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Issue 01, January 2025

निष्कर्ष– इस प्रकार भारत में महिला सशक्तिकरण की समानता की चिंगारी तथागत बुद्ध कबीर, रविदास, पेरियार, नारायण गुरु, गागडे बाबा, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, शाहूजी महाराज जैसे नायक के समय से शुरू हुई जिसको डॉ. अम्बेडकर ने संवैधानिक रूप से मजबूत किया। इस प्रकार बाबासाहब डॉ. अंबेडकर वास्तव में महिलाओं के अधिकारों के दूरदर्शी थे। इस प्रकार आजकल सभी क्षेत्रों में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ने लगा है। आज महिलाएं कई क्षेत्रों में सम्मानजनक मुकाम हासिल कर चुकी हैं। दुनिया आज इतनी तेजी से प्रगति कर रही है महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता आज जब हम महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसमें अगर महिलाओं को भागीदार नहीं बनाया गया तो वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, अगर महिलाएं और पुरुष मिलकर देश का विकास करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें महासता बनने से रोकें।

संदर्भ सूची–

- Ambedkar,B.R.(1987),'Women and Counter Revolution' ,'Riddles of Hindu Women' in Dr. Baba Saheb Ambedkar :Writings and Speeches, Vol.3, *Department of Education*, Govt.of Maharashtra.
- Government of India: (2001), "The National Policy for the Empowerment Of Women 2001", *Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development*, New Delhi.
- Datta, R. (2019). Emancipating and Strengthening Indian Women: An Analysis of B.R.Ambedkar's Contribution. *Contemporary Voice of Dalit*, *11*(1), 25–32. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2455328X18819901
- Kumar, P. (2022), Dr. B.R. Ambedkar and Women Empowerment in India, *Paripex - Indian Journal of Research*, Volume-11, issue – 07, 139-141. https://www.worldwidejournals.com/paripex/recent_issues_pdf/2022/July/dr-br-ambedkar-and-women-empowerment-in-india_July_2022_8165554794_9809452.pdf
- Bindia, R. (2018), Dr. B. R. Ambedkar's Thoughts and Contribution towards Women Empowerment, *Aarhat Multidisciplinary International Education Research Journal (AMIERJ)*, Volume–VII, Issue–II, 27-33. https://www.aarhat.com/download-article/553/
- Das, S. (2015), Ambedkar and women rights: An analysis, *International Research Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies*, I (I), 191–195. https://oaji.net/articles/2015/1707-1424928442.pdf
- Kumar, S. (2015), Women Empowerment in India and Dr.B R Ambedkar, *International Journal in Commerce, IT and Social Sciences. (IJCISS)*, Vol-2, issue-05, 71-77. https://ijmr.net.in/current/4sYSkvmAxE7ndnz.pdf
- Singariya, M. R. (2014), Dr. B. R. Ambedkar and women empowerment in India. *Quest Journals, Journal of Research in Humanities and Social Science*, 2(1), 1–4. https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol2-issue1/A210104.pdf
- Choudhury, S. (2020), Dr. B.R Ambedkar: Role in empowering the Women of India, International *Research Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol.6, Issue-4, 1-5. https://core.ac.uk/download/329080915.pdf
- Barnwal, B. K. (2014), Dr. B. R.Ambedkar's Quest for Gender Equality its Relevance in Contemporary Feminist Discourse, *Online International Interdisciplinary Research Journal*, Volume-IV, Issue-II, 393-400. http://www.oiirj.org/oiirj/mar-apr2014/53.pdf
- Iqbal, S. (2021), Dr. B.R. Ambedkar's Vision for the Rights of Women: A Critical Reflection, *The Achievers Journal*, Vol-7, Issue-1, 32-39. https://theachieversjournal.org/index.php/taj/article/download/438/115